

मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लि., भोपाल

C I N: U02001 M P 1975 SGC 001341

Please visit our Website: [www.mpsfdc.com](http://www.mpsfdc.com)

Phone -: RGM JABALPUR - 0761- 4017345, RGM BHOPAL- 0755 - 2674298, RGM SEONI - 0755 - 2773970 Mob - 9424795015

विज्ञापन क्र. 2016/31 अनुमानित वनोपज मात्रा नीलाम – सितम्बर – 2016

(नीलाम प्रातः 9 बजे से सूर्यास्त तक, आवश्यकतानुसार अगले दिन भी)

परियोजना मण्डल दूरभाष क्रमांक	डिपो	दिनांक	वनोपज का प्रकार	सागौन		अन्य		जलाऊ चट्टे नग	बाँस	
				लट्ठा घ.मी.	बल्ली/ डेंगरी नग	लट्ठा घ.मी.	बल्ली/ डेंगरी नग		व्यापारिक (नग)	औद्योगिक (नो.टन)
विदिशा-रायसेन, भोपाल 0755-2481315	ढकना चपना (सांची)	7	नया	0	0	0	0	0	0	0
			पुराना	1327	100366	310	2543	2448	0	0
बरघाट-सिवनी 07692-220240	बंजारी (धूमा)	9	नया	4	93	3	66	0	0	0
			पुराना	967	66370	359	1787	1223	0	0
लामटा-बालाघाट 07632-240772	पाद्रीगंज	13	नया	0	0	1	146	0	0	0
			पुराना	251	25932	2635	28158	5741	0	0
खंडवा-खंडवा 0733-2225025	नर्मदानगर	16	नया	0	0	0	0	0	0	0
			पुराना	1003	146706	132	0	9033	0	0
उमरिया-उमरिया 07653-222218	उमरिया	20	नया	508	11836	805	6135	0	0	0
			पुराना	535	35568	1756	31866	12111	0	0
मोहगांव-मण्डला 07642-251287	पांडीवारा	23	नया	5	500	5	500	0	500	9
			पुराना	736	62193	737	5485	1169	0	0
कुण्डम-जबलपुर 0761-2420362	गोसलपुर	28	नया	0	0	0	0	0	0	0
			पुराना	1789	102612	544	4846	2366	0	30

नोट:- 1. शर्तें/अन्य विवरण संबंधित मंडल कार्यालय से कार्यालयीन समय में या उक्त वेबसाइट से प्राप्त किया जा सकता है। नीलाम के प्रथम दिन प्रातः 9.00 बजे से भोजन अवकाश तक इमारती काष्ठ, भोजन के बाद अपरान्ह 14.00 बजे से जलाऊ नीलाम इसके बाद शेष इमारती काष्ठ का नीलाम किया जायेगा परंतु नीलामकर्ता को परिस्थितियाँ देखते हुए समय में संशोधन करने का सर्वाधिकार सुरक्षित है। खण्डवा के नर्मदा नगर डिपो के प्रस्तावित नीलाम में जलाऊ चट्टे अस्थाई डिपो लोहारदा एवं बडिया में रखे हुये है। लामटा के पाद्रीगंज डिपो के प्रस्तावित नीलाम में जलाऊ चट्टे पाद्रीगंज एवं अस्थाई डिपो बारिया में रखे हुये है। नीलाम प्रातः 9 बजे से सूर्यास्त तक, आवश्यकता पड़ने पर एवं नीलाम पूर्ण न होने की स्थिति में नीलाम दूसरे दिन भी जारी रखा जा सकेगा।

नोट:- 2. क्रेताओं को सुझाव दिया जाता है कि अधिक से अधिक राशि बैंक ड्राफ्ट/ पेऑर्डर से जमा की जावे। यह क्रेताओं के स्वयं के हित में है।

प्रबंध संचालक